न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, अलवर
पीठासीन अधिकारी – रविन्द्र कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या
256 / 13

दायर दिनांक
07.11.2013

निर्णय दिनांक 2.1.14

उनवान

1 अनिल कुमार पुत्र बालकिशन माता तारामती पुत्री थावरिया जाति चमार निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज) हाल आबाद तुम्बाहेडी तहसील व जिला झज्जर (हरि.)

– प्रार्थी / वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश
2 राजेश पुत्रान थावरिया जाति चमार निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज)
3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज)

– अप्रार्थीगण / प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.ए. आदेश 39 नियम 1 व 2
व सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित
1 श्री रामफल यादव – अभिभाषक प्रार्थी
2 श्री समय सिंह यादव – अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी. इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1052 / 857 / 0.1000, 1073 / 1026 / 1.5800 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम के मौरूसे आला श्री थावरिया थे तारामती पुत्री थावरिया मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण की माताजी थी, का राजस्व रिकॉर्ड मे 1 / 6 भाग दर्ज है। तारामती अपने जीवनकाल मे अपने

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

1/6 भाग पर काबिज व दखिल होकर काश्त करती रही। इनकी मृत्यु के बाद मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण उसके जायज व विधिक वारिसान उसके 1/6 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ शामलात मे काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आये रोज मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण के शामलाती हिस्से के कब्जा मे मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है, एवं जबरन निर्माण कार्य व दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है। दिनांक 02.11.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजीयात को बिना बटाए ही उसके निर्माण कार्य करने की कोशिश की और मिन प्रार्थी को विवादित आराजीयात को बेचान करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक ईरादो मे कामयाब हो गए तो मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा, अपूरणीया क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत रूपयो मे नही आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्ताइ चंदरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी हूँ, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के हक मे है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को हुक्मईम्तनाइ चंदरोजा से पाबंद करावाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1052/857/0.1000, 1073/1026/1.5800 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर को कही दीगर जगह रहन बय हिबा लिज ईत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही निर्माण कार्य करे, ना ही प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण के शामलाती हिस्से मे कब्जा काश्त मे मदालखत व मजामहत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर सुनवाई का अवसर दिया गया।

अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे कहा कि प्रार्थी का प्राईमा फेसाई केस साबित नही होता है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण का आराजी मे 1/6 भाग बनता है जो उनकी माता तारावती से विरासत मे मिला है मगर वो आराजी मे काबिज नही है, ना ही ग्राम लाडपुर मे आबाद है। दिनांक 02.11.2013 की समस्त कहानी मिथ्या दर्ज की है। हालांकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण गैर काबिज व गैर वास्ता है तो भी विवादित आराजी के कुरे कायम कर उन्है 1/6 भाग बांट कर दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

बहस उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि विवादित आराजीयात तारामती त्नी थावरिया के 1/6 हिस्से की भूमि है, तारामती प्रार्थी व प्रतिवादीगण की माताजी थी। जो पने जीवनकाल मे विवादित आराजी पर अपने हिस्से अनुसार काबिज व दखिल होकर काश्त

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

तारामती की मृत्यु के पश्चात् मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण उसके जायज व विधिक वारिसान 1/6 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ शामलात मे काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है, व मौके पर वास्तविक कब्जा है। अप्रार्थीगण 1 व 2 आये दिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण के शामलाती कब्जा काश्त मे रूकावट पैदा करते है व दीगर लोगो के बेचान करने की धमकी देते है। दिनांक 02.11.2013 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजी को बिना बंटाए ही उस पर निर्माण कार्य करने की कोशिश की, निर्माण कार्य कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की व दीगर लोगो को बेचान करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक ईरादो मे कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। तारामती की मृत्यु के पश्चात व प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी विधिक व जायज वारिसान है जो विवादित आराजी मे सहकाश्तकार हो गए है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सहकाश्तकार खातेदार होने से सावित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक मे है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा किए विवादित आराजी पर यदि कोई निर्माण कार्य या बेचान आदि करते है तो प्रार्थी को भारी नुकसान व अपूरणीय क्षति होगी।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया और स्वीकार किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण का आराजी मे 1/6 भाग बनता है। जो उनकी माता तारावती से विरासत मे मिला है मगर आराजी मे काबिज नही है, ना ग्राम लाडपुर मे आवाद है। दिनांक 02.11.2013 की कहानी मिथ्या दर्ज की है। यदि आराजी के कुरे कायम कर प्रार्थी को 1/6 भाग को बांट कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण की ओर से अनापत्ति जाहिर की है।

मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विवादित आराजीयात पर प्रार्थी रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी 1/6 भाग का प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को कुरे कायम कर बांट कर दिया जाता है तो अनापत्ति पेश की है। किसी सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार को पावंद कराना उचित नही है। प्रार्थी अपने पक्ष मे अप्रार्थीगण 1 व 2 के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला सावित करने मे असफल रहा है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक मे नही होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होना भी सावित नही होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम व आदेश 1, 2 ाठित धारा 151 जा.दी हाल खसरा नम्बर 1052/857/0.1000, 1073/1026/1.5800 टेयर कुल किता 2 रकबा 1.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अलवर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.1.14 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे ईज्लास सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner